प्रेषक,

गरिमा यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-650/बा.वि.परि./लेखा/2020-21, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रूपये 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-22/2020/2359/58-1-20-2/1(26)12, दिनांक 06.10.2020 द्वारा रू0 72.00 लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में संलग्न सूची के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 728.00 लाख में से सम्भावित व्यय हेतु रू0 174.96 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख छियानबे हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 104.40 लाख+राज्यांश रू0 70.56 लाख) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
8. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही की जायेगी।
9. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।
10. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के संबंध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
12. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाये।
13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-7/2020/बी-1-306/दस/2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-8/2020/बी-1-429/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 एवं शासनादेश संख्या-1660/60-2-19-2/1(26)/12टीसी दिनांक 31.05.2019 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के060/रा040-के+रा)-24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-70/दस/2021, दिनांक 21 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2021/234(1)/58-1-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–234/58–1–2021–2/1(26)12 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020–21 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की कार्ययोजना

क्रम संख्या	जनपद का नाम	क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	मृदा	धनराशि (लाख में)
	लखनऊ	1	माल	करेंद	अहमदपुर	सामान्य	2.00
	लखनऊ	2	माल	करेंद	ललईखेड़ा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	3	मोहनलालगंज	रायपुर कोडरा	अयोध्याखेडा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	4	मोहनलालगंज	बिन्दौवा	अहमदपुर खालसा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	5	मोहनलालगंज	मीरकनगर	भैरमपुर	सामान्य	2.00
	लखनऊ	6	मोहनलालगंज	गौरा	भाटनखेड़ा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	7	मोहनलालगंज	भदेसुवा	नयाखेड़ा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	8	मोहनलालगंज	परहेंटा	जगन्नाथ गंज	सामान्य	2.00
	लखनऊ	9	बक्शी का तालाब	कोडियामऊ	कोडियामऊ	सामान्य	2.00
	लखनऊ	10	बक्शी का तालाब	रायपुर राजा	रायपुर राजा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	11	बक्शी का तालाब	अटेसुवा	अजरायलपुर	सामान्य	2.00
	लखनऊ	12	बक्शी का तालाब	रायपुर राजा	उद्वतपुर	सामान्य	2.00
	लखनऊ	13	बक्शी का तालाब	देदरी रूखारा	रूखारा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	14	गोसाईगंज	हबुआपुर	किनौना	सामान्य	2.00
	लखनऊ	15	गोसाईगंज	भटवारा	भटवारा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	16	गोसाईगंज	अमेठी	कटरा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	17	सरोजनीनगर	अशरफ नगर इटुरिया	अशरफ नगर इटुरिया	सामान्य	2.00
	लखनऊ	18	सरोजनीनगर	अशरफ नगर इटुरिया	रसूलपुर	सामान्य	2.00
	लखनऊ	19	सरोजनीनगर	दादूपुर	दादूपुर प्रथम	सामान्य	2.00
	लखनऊ	20	सरोजनीनगर	दादूपुर	दादूपुर द्वितीय	सामान्य	2.00
	लखनऊ	21	सरोजनीनगर	शारदा नगर	रूचिखण्ड–2	सामान्य	2.00
	लखनऊ	22	चिनहट	रैथा	रैथा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	23	चिनहट	चांदियामऊ	भैसोरा	सामान्य	2.00
	लखनऊ	24	चिनहट	दुगवर	वीरमपुर	सामान्य	2.00

	लखनऊ	25	मलिहाबाद	भदवाना	शिवपुरी	सामान्य	2.00
	लखनऊ	26	काकोरी	शारदा नगर	भदरूख–।	सामान्य	2.00
	लखनऊ	27	काकोरी	शारदा नगर	भदरूख–।।	सामान्य	2.00
	लखनऊ	28	काकोरी	शारदा नगर	सालेहनगर–।	सामान्य	2.00
	लखनऊ	29	काकोरी	शारदा नगर	सालेहनगर–।।	सामान्य	2.00
2	सहारनपुर	30	बलियाखेडी	मडकी (रामनगर)	मडकी (रामनगर)	सामान्य	2.00
	सहारनपुर	31	नागल	बढेडी कोली	बढेडी कोली	सामान्य	2.00
	सहारनपुर	32	सढौली कदीम	रोगला हथौली	बेरखेडी	सामान्य	2.00
	सहारनपुर	33	नानौता	टिकरौल	टिकरौल	सामान्य	2.00
3	देवरिया	34	भाटपाररानी	कुबेरूआ	कुबेरूआ	सामान्य	2.00
	देवरिया	35	बैतालपुर	विशुनपुरा	विशुनपुरा	सामान्य	2.00
	देवरिया	36	रूद्रपुर	महेशपुर	महेशपुर	सामान्य	2.00
	देवरिया	37	रूद्रपुर	नकईल	नकईल	सामान्य	2.00
	देवरिया	38	रूद्रपुर	डढिया	डढिया	सामान्य	2.00
	देवरिया	39	भटनी	परसिया करकटही	परसिया करकटही	सामान्य	2.00
	देवरिया	40	भटनी	नोनापार	नोनापार	सामान्य	2.00
	देवरिया	41	सेलमपुर	मुसैला बुजुर्ग	मुसैला बुजुर्ग	सामान्य	2.00
	देवरिया	42	गौरीबाजार	भटौली बुजुर्ग	भटौली बुजुर्ग	सामान्य	2.00
	देवरिया	43	सदर	सकरापार	सकरापार प्रथम	सामान्य	2.00
	देवरिया	44	सदर	भलुआ	भलुआ	सामान्य	2.00
	देवरिया	45	सदर	मुडाडीह	मुडाडीह	सामान्य	2.00
	देवरिया	46	सदर	तिलई बेलवा	तिलई बेलवा	सामान्य	2.00
	देवरिया	47	सदर	बसडीला	बसडीला	सामान्य	2.00
	देवरिया	48	देसही	बेलवा बाजार	बेलवा बाजार	सामान्य	2.00
	देवरिया	49	देसही	हेतिमपुर	हेतिमपुर	सामान्य	2.00
	देवरिया	50	बनकटा	नियरवा	नियरवा	सामान्य	2.00
	देवरिया	51	बनकटा	कडरारवा	कडरारवा	सामान्य	2.00
	देवरिया	52	लार	चनुकी	चनुकी	सामान्य	2.00
4	उन्नाव	53	सि0कर्ण	बन्थर	महरा	सामान्य	2.00
	उन्नाव	54	सफीपुर	देवगांव	देवगांव	सामान्य	2.00
5	कौशाम्बी	55	सिराथू	गौसेलमपुर	सुल्तानपुवारी	लवणीय	2.24
	कौशाम्बी	56	नेवादा	बैरआमद करारी	गोटैया का पूरा	लवणीय	2.24
	कौशाम्बी	57	कनैली	जाठी	जाठी	लवणीय	2.24
	कौशाम्बी	58	कनैली	मंहगूपुर	हिमांचलपुर	लवणीय	2.24

6	बहराइच	59	कैसरगंज	भखरौली कनपुरवा	भखरौली कनपुरवा–।।	सामान्य	2.00
	बहराइच	60	कैसरगंज	चकपिहानी	चकपिहानी।।	सामान्य	2.00
	बहराइच	61	फखरपुर	मलूकपुर	नर्सरी मलूकपुर	सामान्य	2.00
	बहराइच	62	फखरपुर	सहिबापुर महिपाल	सहिबापुर महिपाल	सामान्य	2.00
7	बाराबंकी	63	बंकी	बहादुरपुर	सूतमिल (नई बस्ती)	सामान्य	2.00
	बाराबंकी	64	बंकी	मोहिउद्दीनपुर	मोहिउद्दीनपुर–4	सामान्य	2.00
8	मिर्जापुर	65	मझवां	आही	आही	सामान्य	2.00
	मिर्जापुर	66	सीखड़	विदापुर	विदापुर	सामान्य	2.00
9	आगरा	67	बिचपुरी	सहारा	सहारा	सामान्य	2.00
10	हरदोई	68	बिलग्राम	जरौलीशेरपुर	बलेन्दा	सामान्य	2.00
	हरदोई	69	मल्लावॉ	मल्लावॉनगर	गंगारामपुर	सामान्य	2.00
11	अयोध्या	70	बीकापुर	खजुरहट	खजुरहट	सामान्य	2.00
	अयोध्या	71	मया बाजार	बबुआपुर	बबुआपुर	सामान्य	2.00
	अयोध्या	72	मिल्कीपुर	किनौली	किनौली	सामान्य	2.00
	अयोध्या	73	मिल्कीपुर	कुचेरा	कुचेरा	सामान्य	2.00
	अयोध्या	74	मिल्कीपुर	कहुआ	कहुआ	सामान्य	2.00
	अयोध्या	75	मिल्कीपुर	गुरौली फततेसिंह	गुरौली	सामान्य	2.00
	अयोध्या	76	मिल्कीपुर	चिरौली	चिरौली	सामान्य	2.00
	अयोध्या	77	हरिग्टनगंज	हरदोइया	हरदोइया	सामान्य	2.00
	अयोध्या	78	हरिग्टनगंज	मुकीमपुर	मुकीमपुर	सामान्य	2.00
	अयोध्या	79	हरिग्टनगंज	आदिलपुर	आदिलपुर–।	सामान्य	2.00
	अयोध्या	80	हरिग्टनगंज	आदिलपुर	आदिलपुर–।।	सामान्य	2.00
	अयोध्या	81	पूरा बाजार	शाह नेवाजपुर	शाह नेवाजपुर	सामान्य	2.00
	अयोध्या	82	पूरा बाजार	कुढ़ा केशवपुर	कुढ़ा केशवपुर	सामान्य	2.00
	अयोध्या	83	पूरा बाजार	शान्तीपुर	शान्तीपुर	सामान्य	2.00
	अयोध्या	84	सोहावल	पिलखांवा	पिलखांवा	सामान्य	2.00
	अयोध्या	85	तारून	कनकपुर झगरौली	कनकपुर झगरौली	सामान्य	2.00
	अयोध्या	86	अमानीगंज	भखौली	भाले सुल्तान	सामान्य	2.00
	अयोध्या	87	अमानीगंज	कोटडीह	कोटडीह	सामान्य	2.00
						कुल योग	**रू0 174.96**